

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-26102026-277430
SG-DL-E-26102026-277430

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 22, 2026/आश्विन 30, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 261
No. 317]	DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2026/ASVINA 30, 1948	[N. C. T. D. No. 261

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 17 सितम्बर, 2026

फा. सं. 11(16)/LB/RR/2026/2700.— निम्नलिखित सामान्य जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित किया जाता है :—

दिल्ली नगर निगम
(केन्द्रीय संस्थापना विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2026

फा. सं. A.O.-III/CED/RRs/MCD/2026/2817.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 480 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 98 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 19 अक्टूबर, 1966 की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 3159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के

उपरांत, दिल्ली नगर निगम द्वारा मुख्य अभियंता (सिविल), दिल्ली नगर निगम के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित/नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :-** (क) इन विनियमों को मुख्य अभियंता (सिविल) के भर्ती नियम, 2026 कहा जायेगा।

(ख) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-** उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि :-** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता :-** कोई भी व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि दिल्ली नगर निगम संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार है, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति का इस विनियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति :-** जहां दिल्ली नगर निगम का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोग सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी अथवा पदों के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव :-** इस विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

7. **निरसन:-** स्थानीय स्वशासन विभाग, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली की दिनांक 27.02.1984 की अधिसूचना संख्या फा0 9/2/84-स्था0स्वा0स0/940 के तहत बने मुख्य अभियंता के पद हेतु भर्ती विनियम, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से निरस्त समझे जायेंगे।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	मुख्य अभियंता (सिविल)
2.	पदों की संख्या	:	13' (2024) 'इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी 'क'
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	14
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	चयन पद
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य: योग्यता : लागू नहीं अनुभव : लागू नहीं वांछनीय: योग्यता : लागू नहीं अनुभव : लागू नहीं

			योग्यता : मानक टीप	अनुभव : मानक टीप
			लागू नहीं	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	:	लागू नहीं	
9.	परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो	:	लागू नहीं	
10.	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्तियों का प्रतिशत	:	विधि	प्रतिशत
			पदोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित	100%
11.	यदि पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ विलय द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ विलय किया जाना है	:	पदोन्नति: अधीक्षण अभियंता (सिविल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (रू0 123100-215900/-) सहित ग्रेड में तीन (03) वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा अधीक्षण अभियंता (सिविल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (रू0 123100-215900/-) सहित स्तर-13 और स्तर-12 के ग्रेड में आठ (08) वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा की हो; अथवा अधीक्षण अभियंता (सिविल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (रू0 78800-209200/-) सहित ग्रेड में आठ (08) वर्ष की नियमित सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेशों या सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (रू0 123100-251900/-) या समतुल्य में मूल संवर्ग या विभाग में नियुक्ति के उपरांत नियमित आधार पर तीन (03) वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (रू0 78800-209200/-) या समतुल्य में मूल संवर्ग या	

		विभाग में नियुक्ति के उपरांत नियमित आधार पर आठ (08) वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखते हो: (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि। (ii) सिविल कार्यों के डिजाइन एवं निष्पादन में पर्यवेक्षी क्षमता में 10 वर्ष का अनुभव। मानक टिप्पण:- टीप 1:- जहाँ ऐसे कनिष्ठों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टीप 2:- केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन (56)वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। टीप 3:- पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। मानक नोट:- लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ?	विभागीय पदोन्नति समिति 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग : (अध्यक्ष) 2. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम : (सदस्य) 3. अतिरिक्त आयुक्त (संस्था) : (सदस्य)

			विभागीय पुष्टि समिति
			1. लागू नहीं (अध्यक्ष)
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राकेश कुमार सारंगल, निदेशक (कार्मिक)
दिल्ली नगर निगम

आदेश द्वारा,
मनोज कुमार द्विवेदी, विशेष सचिव (शहरी विकास)

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2026

F. No. 11(16)/LB/RR/2026/2700.— The following is published for general information and necessary action:-

MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI
(Central Establishment Department)
NOTIFICATION

Delhi, the 17 September, 2026

F. No.A.O.-III/CED/RRs/MCD/2026/2817.— In exercise of the powers conferred by section 98, read with sub-section (2) of section 480 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957) and Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification Number S.O. 3159 dated the 19th October, 1966, and after consultation with Union Public Service Commission, the Municipal Corporation of Delhi is pleased to make the following recruitment regulations for regulating the method of recruitment to the post of Chief Engineer (Civil) in Municipal Corporation of Delhi, namely:-

- Short title and Commencement.**— (1) These regulations may be called **Chief Engineer (Civil) Recruitment Regulations, 2026.**
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- Number of posts, classification and Level in Pay Matrix.** — The number of the said posts, their classification and Level in Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.** — No person, -

- (a) Who has entered into or contracted a second marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a second marriage with any person; shall not be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Municipal Corporation of Delhi, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax.** – Where the Municipal Corporation of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons or posts.

6. **Saving.** – Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time, in this regard.

7. **Repeal:-** Recruitment Regulations for the post of Chief Engineer made under Local Self Govt. Department, Delhi Administration, Delhi Notification No. F.9/2/84-LSG/940 dated 27.02.1984 stands superseded from the date of issue of this notification.

SCHEDULE

1.	Name of the Post	Chief Engineer (Civil)	
2.	No. of post	13* (2024) *Subject to variation dependent on workload	
3.	Classification	Category-A	
4.	Scale of Pay/ level in pay matrix	14	
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection Post	
6.	Age limit for direct recruits	Not Applicable	
7.	Educational and other qualification required for direct recruits	Essential:	
		Qualification : NA	Experience : NA
		Desirable :	
		Qualification : NA	Experience : NA
		Qualification Standard Note	Experience Standard Note
		NA	NA
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotes.	Age : NA Edu. Qual : NA	
9.	Period of probation, if any	NA	
10.	Method of Recruitment: Whether by Direct Recruitment or by Promotion or by Deputation/ Transfer, percentage of vacancies to be filled by various methods	Method	Percentage
		Promotion, failing which Deputation including Short Term Contract	100

11.	In case of Recruitment by Promotion / Deputation / absorption grades from which Promotion / Deputation /absorption to be made	Promotion:- Superintending Engineer (Civil) in the Level-13 (Rs. 123100-215900) in the Pay Matrix with 3 (three) years regular service in the grade; OR Superintending Engineer (Civil) in the Level-13 (Rs. 123100-215900) in the Pay Matrix with 8 (eight) years combined regular service in the grades Level-13 and Level-12; OR Superintending Engineer (Civil) in the Level-12 (Rs. 78800-209200) in the Pay Matrix with 8 (eight) years regular service in the grade. Deputation (Including short term contract):- Officers of the Central Government or State Government or Union Territories Administration or Autonomous Bodies or Statutory Organization or PSUs or University or Recognized Research Institution: (a) (i) Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; OR (ii) With 03 years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-13 (Rs. 123100-215900) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; OR (iii) With 08 years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; AND (b) possessing following qualifications and experience: (i) Bachelors Degree in Civil Engineering from a recognized University or Institute; (ii) 10 years experience in a supervisory capacity in the design and execution of civil works. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not
-----	---	---

		exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications. Note 3: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Standard Note: NA
12	If a D.P.C. exists, what is its composition?	<u>Departmental Promotion Committee</u> 1. Chairman/Member, UPSC : (Chairman) 2. Commissioner, MCD : (Member) 3. Additional Commissioner (CED) : (Member) <u>Departmental Confirmation Committee</u> 1. Not Applicable (Chairman)
13.	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment	Consultation with UPSC is necessary.

RAKESH KUMAR SARANGLE, Director (Personnel)
Municipal Corporation of Delhi

By order
MANOJ KUMAR DWIVEDI, Spl. Secretary. (UD)